शिक्षा का अधिकार- प्रायवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान सत्र 2019–20

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
1	**आवेदन हेतु पात्रता से संबधित जिज्ञासा**	
2	**आनलाईन लाटरी में आवेदन करने वाले बच्चों को प्रायवेट स्कूलों की किस कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की पात्रता।**	अधिनियम मे किये गये प्रावधान अनुसार गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूल की कक्षा 1मे न्यूनतम 25प्रतिशत प्रवेश दिया जायेगा। यदि स्कूल मे प्री स्कूल शिक्षा दी जाती है तो उसकी प्रवेशित कक्षा नर्सरी केजी–1केजी–2मे प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्रायवेट स्कूल मे प्री स्कूल की कक्षाओं और कक्षा 1मे सीधे प्रवेश होता है तो दोनो मे सीधे प्रवेशित बच्चों की संख्या का न्यूनतम 25प्रतिशत प्रवेश आरक्षित सीटो पर प्रवेश होता है। नर्सरी,केजी–1, केजी–2 या कक्षा–1 में ही आवेदन कर सकते है।
3	**आरटीई के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता है।**	ऐसे बच्चे आवेदन हेतु पात्र है जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो:– **वंचित समूहः–** • अनुसूचित जाति, • अनूसूचित जनजाति, • वनभूमि के पट्टाधारी परिवार, • विमुक्त जाति परिवार(विमुक्त जाति में शामिल है–बंजारा, हाबुडा, भाटु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट,पारधी,बेदिया,कुचबंदिया,बिजोरिया,कबूतरी,सन्धिया,पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे। • निःशक्त बच्चे (मेंडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार) • **HIV** ग्रस्त बच्चे **कमजोर वर्गः**–वैध बीपीएल कार्ड/अंत्योदय कार्ड धारी परिवार के बच्चे। • अनाथ बच्चे (अनाथ आश्रम में पडने वाले बच्चे)

<table>
<tr><th>क्र</th><th>संभावित प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>4</td><td>किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है।</td><td>आयु के संबंध मे निम्नानुसार पात्रता होगी
<table><tr><th>कं.</th><th>प्रवेश आवेदन की कक्षा</th><th>न्यूनतम आयु</th></tr><tr><td>1</td><td>नर्सरी / के.जी.–1 / के.जी.–2</td><td>न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष</td></tr><tr><td>2</td><td colspan="2">कक्षा–1 मे प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 05 पूर्ण हो परन्तु आयु 07 वर्ष से अधिक नही हो।</td></tr></table>आयु की गणना 16 जून 2019 की स्थिति में की जावेगी। प्रवेश हेतु कक्षा एवं उसके लिये निर्धारित न्यूनतम आयु का आवेदक स्वयं ही मिलान कर लें अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>किन स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है।</td><td>आवेदक जिस क्षेत्र का निवासी है उस ग्राम / वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन दर्ज कर सकते है।
<u>निवास का प्रमाण पत्र :–</u>
ग्राम अथवा वार्ड / पड़ोस / पड़ोस की विस्तारित सीमा का निवासी होने के लिए बच्चों के पालक / अभिभावक के निम्नलिखित में से दस्तावेज मान्य होंगे:–
मतदाता परिचय पत्र,
राशन कार्ड / पात्रता पर्ची / समग्र पर्ची,
ग्रामीण क्षेत्र का जॉब कार्ड (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना),
पासपोर्ट / ड्राइविंग लायसेन्स / बिजली बिल / पानी बिल,
कोई अन्य शासकीय दस्तावेज जिसमें बच्चों के पालक / अभिभावक के निवास का पता अंकित हो।
यदि पालक / अभिभावक संयुक्त परिवार का सदस्य है तो परिवार के मुखिया के नाम के शासकीय दस्तावेज मान्य होगें।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मेरा बच्चा पूर्व में आरटीई के तहत प्रायवेट स्कूल में नि:शुल्क पढ रहा है / पढ चुका है तो क्या में दोबारा अब आवेदन कर सकता हू।</td><td>नही। यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नही है।</td></tr>
</table>

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
7	**आवेदन पत्र के संबध में जिज्ञासा**	
8	**आवेदन का प्रारूप कहाॅ से प्राप्त कर सकते है**	आरटीई पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। संबधित जिला शिक्षा केन्द्र,बीआरसी, जिल शिक्षा केन्द्र, जिला शिक्षा अधिकारी, संकुल केन्द्र, जनशिक्षा केन्द्र, प्रायवेट स्कूल से भी प्राप्त किया जा सकता है।
9	**आवेदन पत्र कहाॅ जमा करना होगा।**	**आवेदन केवल ऑनलाइन ही दर्ज होगे, ऑफलाइन आवेदन नही किये जा सकेगे। अतः आवेदको द्वारा किसी भी स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जायेगी।** आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते है। यदि ऑनलाइन आवेदन करने में आवेदक को किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो वह संबंधित विकाखण्ड़ के जनपद शिक्षा केन्द्र (बी.आर. सी. कार्यालय) में जाकर आरटीई प्रवेश हेतु स्थापित हेल्प डेस्क की सहायता से प्रवेश हेतु आवेदन कर सकता है। **आवेदन पत्र का प्रारूप आरटीई पोर्टल–** पर भी उपलब्ध है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी पासवर्ड या बगैर शुल्क के डाउनलोड़ किया जा सकता है।**एक आवेदक केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन करेगा।** ऑनलाइन आवेदन में कम से तीन स्कूलों को विकल्प के रूप में दर्ज करना होगा एवं अधिकतम 10 स्कूलों का चयन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक के स्वयं के ग्राम/वार्ड, पड़ोस अथवा विस्तारित पड़ोस में तीन अशासकीय स्कूल नही है तो तीन से कम आवेदन दर्ज करने की छूट रहेगी।
10	**आवेदन पत्र भरने के संबध में**	आवेदन में समग्र एवं आधार अनुसार ही बच्चे की स्पेंलिंग टाइप करें। नाम मिसमेच होने के कारण बच्चे की फीस प्रतिपूर्ति नही हो सकेगी। यदि समग्र आईडी में बच्चे का नाम की स्पेंलिंग में त्रुटि हे तो वार्ड या पंचायत कार्यालय जाकर सही स्पेंलिंग करायें। आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि तथा आरक्षित कोटा सही सही दर्ज किया जाये। बच्चे की समग्र आईडी देख कर ही भरें। आवेदन में प्रथम मोबाइल नंबर सही सही दर्ज करें क्योकि इसी नंबर पर ओटीपी आयेगा।

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
11	**आवेदन में यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधार**	**आवेदन में यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटि सुधार कराकर ही सत्यापन करायें। यदि एक बार सत्यापन हो जाता है तो फिर त्रुटि सुधार संभव नही होगा। अतः सत्यापन कराने के पूर्व सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि नही है।**
12	**अधिकतम कितने फार्म जमा किये जा सकते है।**	**केवल एक ही ऑनलाइन आवेदन।** एक प्रवेशार्थी द्वारा एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, यदि एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। **लॉटरी की कार्यवाही केवल एक चरण में ही होगी। अतः आवेदको को अधिकतम 10 स्कूल के विकल्प चयन की सलाह दी जाती है।**
13	**ऑनलाइन फार्म जमा करने के बाद ओटीपी प्राप्त हुआ है इसका क्या करना है।**	आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन फार्म दर्ज करने के उपरांत पालक के फार्म मे दर्ज मोबाइल नंबर–1 पर एसएमएस द्वारा एक ओटीपी पासवर्ड प्राप्त होगा इसको दर्ज करने के उपरांत आवेदन की पुष्टि कर लॉक करे तभी आवेदन पत्र सेव होगा एवं इन्ही को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। अतः सलाह दी जाती है कि फार्म भरते समय मोबाइल अपने पास चालू करके रखें। इसके बाद आवेदन पत्र की पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखे सत्यापन प्रपत्र एवं आवंटन पत्र निकालते समय इसकी आवश्यकता होगी। यदि ओटीपी नही आया है तो पुनः ओटीपी प्राप्त करें आप्शन से ओटीपी प्राप्त कर

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
		सकते है।
14	**यदि ओटीपी प्राप्त नही हुआ है तो क्या करें**	कुछ समय इंतजार करें एक बार प्राप्त ओटीपी 12 घंटे तक वैध है। यदि ओटीपी 10 मिनिट तक प्राप्त नही हुआ है तो ओटीपी पुनः प्राप्त करें आप्शन से ओटीपी प्राप्त कर सकते है। 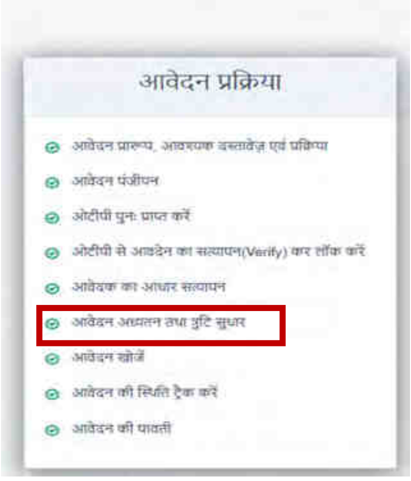
15	**आवेदन के बाद ओटीपी से वेरीफाई कर लॉक करना**	आवेदन दर्ज करने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आयेगा इसके माध्यम से आवेदन को वेरीफाई कर लॉक करें अन्यथा आवदेन ऑननलाइन प्रक्रिया में शामिल नही हो सकेगा। अभी लॉक नही किया है तो ओटीपी पुनः प्राप्त करें आप्शन से ओटीपी प्राप्त कर वेरीफाई कर आवेदन को लॉक करें।
16	**सत्यापन के संबंध में जिज्ञासा**	
17	**ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहॉं होगा**	आवेदक जिस ग्राम या वार्ड का निवासी है उसके नजदीकी जो शासकीय हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी (जनशिक्षा/संकुल केन्द्र) है उसमें ऑनलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड़ करके ले जाये तथा साथ में आवेदन में दर्ज प्रमाणपत्र अनुसार मूल दस्तावेज भी लेकर सत्यापन करायें। यदि जनशिक्षा/संकुल केन्द्र की जानकारी नही हो रही है तो निकटस्थ प्रायवेट स्कूल/शासकीय स्कूल में जाकर अपने जनशिक्षा केन्द्र केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकते है। अपने विकासखंड के विकासखंड श्रोत केन्द्र बीआरसी से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
18	**सत्यापन नही कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है**	नही। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात 07 दिवस के अंदर निर्धारित सत्यापन केन्द्र में जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में शामिल किया जायेगा। सत्यापन उपरांत त्रुटि सुधार नही होगा। यह

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
		सुनिश्चित करें कि सत्यापन प्रपत्र की मूल प्रति सत्यापन केन्द्र में ही रहे।
19	**प्रवेश की प्रकिया क्या होगी**	1 ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन करना होगा। 2 आवेदन के पश्चात ऑपलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड कर अपने ग्राम/वार्ड के निकटस्थ स्थित शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल जो जनशिक्षा केन्द्र(संकुल केन्द्र) है वहा जाकर आवेदन में दर्ज की गयी जानकारी अनुसार मूल दस्तावेज का सत्यापन कराना अनिवार्य है। 3 सत्यापन प्रपत्र में सत्यापन कर्ता पात्र/अपात्र करेगें। सुनिश्चित करें कि सत्यापन उपरांत सत्यापन की हस्ताक्षरित प्रति सत्यापन कर्ता के पास एक प्रति उपलब्ध रहे। 4 सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में सम्मलित किया जायेगा। ऑनलाइन लॉटरी में यदि नाम आता है तो ही स्कूल का आवंटन होगा। 5 ऑनलाइन लॉटरी में नाम आने पर ही स्कूल आवंटन होगा एवं इसके पश्चात सीधें स्कूल में प्रवेश लिया जा सकेगा।
20	**क्या सत्यापन के समय मूल दस्तावेजो की तथा कोन–कोन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।**	आवेदक को आरटीई कोटा के प्रवेश हेतु अशासकीय विधालय में प्रवेश की पात्रता एवं उससे संबंधित निर्धारित दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत न करने की स्थिति मे आवेदक का आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा। सत्यापन के दोरान **निम्न मूल दस्तावेज उपलब्ध कराने होगे:–** जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति। • यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति वर्ग से है तो जाति प्रमाण पत्र। • वैध वीपीएल कार्ड/अंत्योदय कार्ड • जिस निवास क्षैत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका निवास प्रमाण • जन्म प्रमाण • फोटो • आवेदन की पावती प्रति • सत्यापन प्रपत्र

क्र	संभावित प्रश्न	उत्तर
	ऑनलाइन लॉटरी के पश्चात आवंटन के पश्चात प्रवेश के संबध में जिज्ञासा	
21	**ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश केसे होगा।**	सत्यापन उपरांत पात्र होने पर **पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में।** पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज हुये तथा सत्यापन उपरांत पात्र बच्चे जिनकी बीआरसी द्वारा प्रविष्टि की जायेगी केवल उन्ही बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया 2019–20 में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत, रेण्डमाइजेशन, पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा।
22	**प्रवेश प्रकिया**	सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही लॉटरी में स्कूल का आवंटन होने पर एसएमएस के माध्यम से प्रवेश की जानकारी प्रदान की जायेगी। आवेदक पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करेगे एवं आवंटन पत्र की प्रति ले जाकरी संबधित आवंटित स्कूल में समय सीमा में प्रवेश लेगे। प्रवेश हेतु समय सीमा में उपस्थित नही होने पर आवंटन निरस्त हो जायेगा।
23	**आवेदन करने में समस्या आने पर कहॉ संपर्क किया जा सकता हे।**	
24	**हेल्पलाइन नंबर मिस्ड कॉल**	प्रवेश संबधित मदद हेतु हेल्पलाइन नंबर **01139589100** पर मिस्ड कॉल दे सकते है इसमें मोबाइल नंबर पंजीकृत हो जायेगा। इसके पश्चात उन्हे इसी नंबर पर शीघ्र ही वापिस सूचना प्रदान की जायेगी।
25	**यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहा से सहायता प्राप्त कर सकते है।**	किसी भी प्रकार की समस्या आने पर अपने बीआरसी कार्यालय/जिला शिक्षा केन्द्र/जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सहायता प्राप्त कर सकतें है। पोर्टल पर भी संपर्क करें नंबर पर दर्ज नंबर पर संपर्क कर मदद प्राप्त की जा सकती है।

RTE के आवेदन फॉर्म भरते समय ध्यान दी जाने वाली बातें |

1. अपने वार्ड / ग्राम के दायरे में आने वाले स्कूलो को पता करके उनमे से कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 स्कूल का चुनाव वरीयता क्रम में कर ले|यदि किसी ग्राम/वार्ड में 3 से कम स्कूल है तो 3 से कम स्कूलों का चयन किया जा सकता है फॉर्म में स्कूल के कोड भरने होंगे इ सलिए कोड को लिख ले | सुझाव है कि अपने ग्राम/वार्ड में आने वाले स्कूलो को प्राथमिकता पहले दे |

2. आवेदन रजिस्टर करने के लिए पहले आवेदन प्रक्रिया मेनु पर क्लिक करे, उसके बाद "आवेदन पंजीयन" को चुने |
3. उसके बाद बच्चे का 9 डिजिट समग्र आई .डी भरे मिलान करें कि समग्र तथा आधार एवं जन्मप्रमाण पत्र में बच्चे का नाम मिलान करता है। यदि समग्र आईडी में नाम की स्पेंलिग में त्रुटि है तो संबधित नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत से सही करा कर ही फार्म दर्ज करें
4. फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरे
5. मोबाइल नंबर अत्यंत सावधानी के साथ भरे भरे क्यूंकि एक बार फ़ोन नंबर गलत होने पर कुछ नहीं किया जा सकेंगा, ओटीपी नही आयेगी एवं न ही आवेदन का सत्यापन हो सकेगा एवं पुनः आवेदन भी दर्ज नही हो सकेगा।
6. फॉर्म को सेव करे और आपके रजिस्टर नंबर पर आई हुई OTP से आवेदन को लॉक करे |

7. अगर OTP प्राप्त ना हो तो , OTP प्राप्त करने के लिए और OTP से आवेदन लॉक करने के लिए क्या करे

अगर OTP ना आई हो तो OTP प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के मेन्यु के विन्दु नंबर 4 : “OTP से आवेदन की पावती प्राप्त करे” पर क्लिक करे | एप्लीकेशन आई .डी, , बच्चे की जन्म तिथि भरके और कैप्चा भरके सबमिट करे | 5 मिनट के अंदर आपको OTP प्राप्त होगा | आपके मोबाइल पर OTP आ जाने के बाद उसी पेज पर एक और फॉर्म खुलेगा , उसमे OTP भरके आवेदन, लॉक करे

8. आवेदन में त्रुटी सुधार के लिए एडिट (EDIT) कैसे किया जाए ?

आवेदन को OTP द्वारा लॉक किये बिना एडिट (त्रुटी सुधार) नहीं किया जा सकता | ध्यान रहे अगर आप त्रुटी सुधार के लिए एडिट करना चाहते है तो आपका फॉर्म OTP द्वारा लॉक हुआ होना चाहिय |
एडिट (EDIT) करने के लिए आवेदन प्रकिया के मेन्यु के बिंदु नंबर 5 : “आवेदन अध्यतन तथा त्रुटी सुधार” वाले आप्शन पर क्लिक करे | उसके बाद अपने रजिस्टर्ड नंबर पर OTP पाने के लिए जानकारी भरे | अगर OTP नहीं आती तो दोबारा पाने के लिए “ OTP पुनः प्राप्त करे” वाले आप्शन से दोबरा OTP प्राप्त करे| OTP के माध्यम से एडिट (EDIT) करके सत्यापित करे और पावती प्राप्त करे |
9. अगर किसी का आवेदन नंबर (एप्लीकेशन ID) गुम हो जाता हैं तो या गलत नोट हो जाता हैं तो आप आवेदन प्रक्रिया में **“आवेदन खोजे”** का चयन करे और उसमे ठीक प्रकार से जानकारी भरकर आवेदन खोजे |
10 . आवेदन पत्र का पावती प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया में आवेदन की पावती का चयन कर पावती प्राप्त करे | आवेदन का OTP के मध्यम से सत्यापन करने के बाद ही आवेदन का पावती प्राप्त होगा|

RTE के आवेदन फॉर्म भरते समय ध्यान दी जाने वाली बातें |

1. पहले से ही अपने वार्ड / ग्राम के दायरे में आने वाले स्कूलो को पता करके उनमे से कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 स्कूल का चुनाव वरीयता क्रम में कर ले| फॉर्म में स्कूल के कोड भरने होंगे इसलिए कोड को लिख ले | सुझाव है कि अपने ग्राम/वार्ड में आने वाले स्कूलो को प्रथमिकता पहले दे |

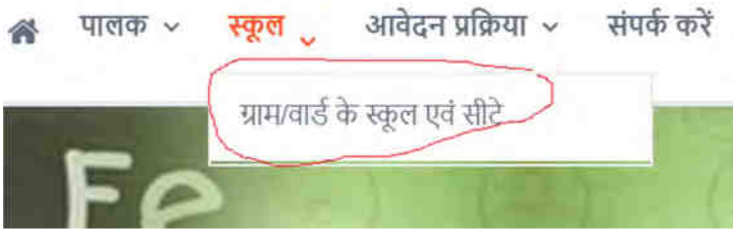

2. आवेदन रजिस्टर करने पहले आवेदन प्रक्रिया मेनु पर क्लिक करे, उसके बाद "आवेदन पंजीयन" को चुने |

3. उसके बाद बच्चे का 9 डिजिट समग्र आई .डी भरे | समग्र तथा आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम मिलान करता है। यदि समग्र आईडी में नाम की स्पेंलिग में त्रुटि है तो संबधित नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत से सही करा कर ही फार्म दर्ज करें

4. फॉर्म को सेव करे और आपके रजिस्टर नंबर पर आई हुई OTP से आवेदन को लॉक करे |

5. अगर OTP प्राप्त ना हो तो , OTP प्राप्त करने के लिए और OTP से आवेदन लॉक करने के लिए क्या करे ?

अगर OTP ना आई हो तो OTP प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया के मेन्यु के विन्दु नंबर 4 : “OTP से आवेदन की पावती प्राप्त करे” पर क्लिक करे | एप्लीकेशन आई .डी, , बच्चे की जन्म तिथि भरके OTP प्राप्त करने के कैप्चा भरके सबमिट करे | 5 मिनट के अंदर आपको OTP प्राप्त होगा | उसे वही भरके आवेदन लॉक करे |

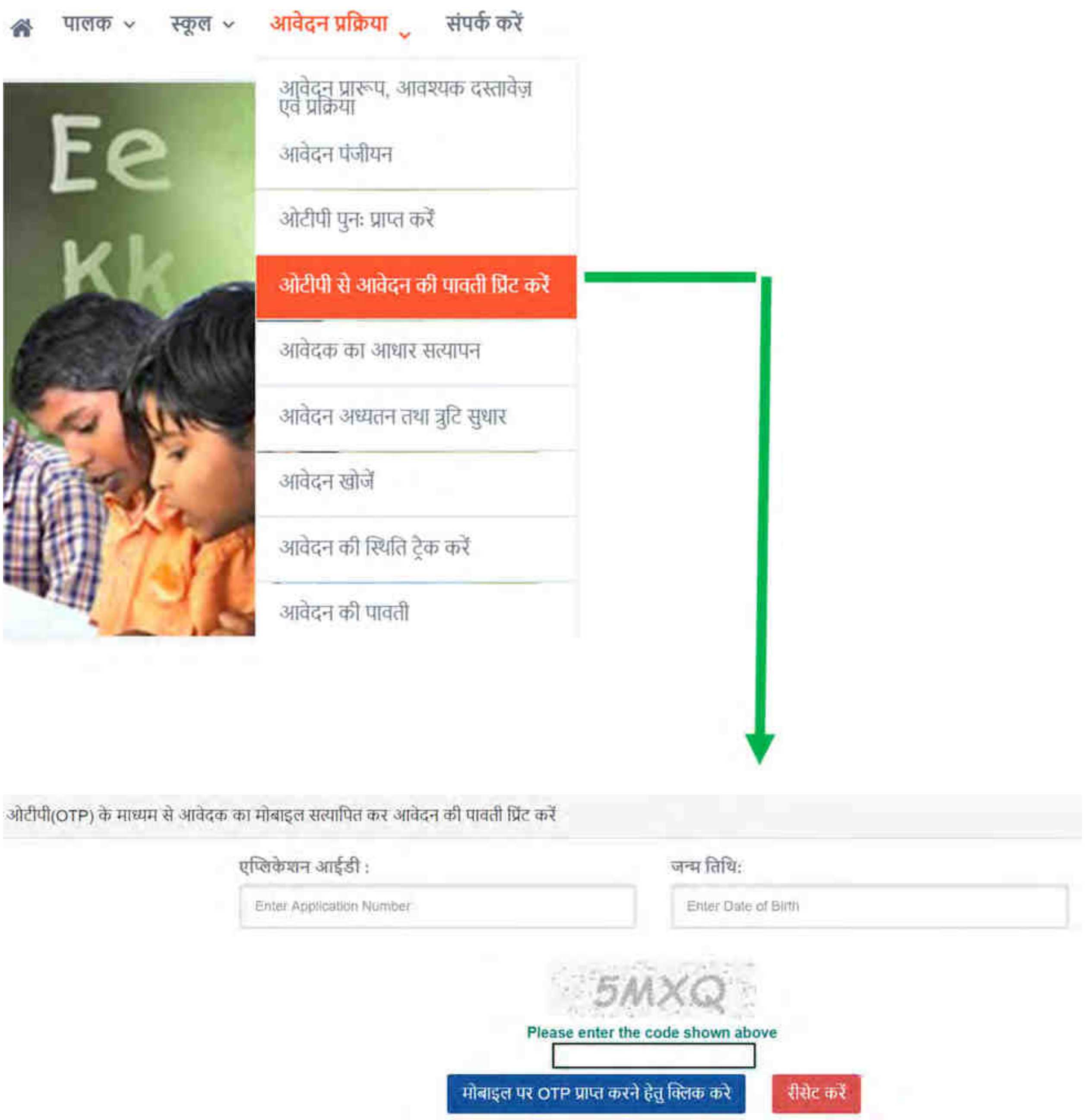

6. आवेदन में त्रुटी सुधार के लिए एडिट (EDIT) कैसे किया जाए ?

आवेदन को OTP द्वारा लॉक किये बिना एडिट (त्रुटी सुधार) नहीं किया जा सकता | ध्यान रहे अगर आप त्रुटी सुधार के लिए एडिट करना चाहते है तो आपका फॉर्म OTP द्वारा लॉक हुआ होना चाहिय |
एडिट (EDIT) करने के लिए आवेदन प्रकिया के मेन्यु के बिंदु नंबर 5 : "आवेदन अध्यतन तथा त्रुटी सुधार" वाले आप्शन पर क्लिक करे | उसके बाद अपने रजिस्टर्ड नंबर पर OTP पाने के लिए जानकारी भरे | अगर OTP नहीं आती तो दोबारा पाने के लिए " OTP पुनः प्राप्त करे" वाले आप्शन से दोबरा OTP प्राप्त करे| OTP के माध्यम से एडिट (EDIT) करके सत्यापित करे और पावती प्राप्त करे |

7. अगर किसी का आवेदन नंबर (एप्लीकेशन ID) गुम हो जाता हैं तो या गलत नोट हो जाता हैं तो आप आवेदन प्रक्रिया में **"आवेदन खोजे"** का चयन करे और उसमे ठीक प्रकार से जानकारी भरकर आवेदन खोजे |